



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना कोतवाली शहर

दिनांक 21.05.2026

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 380/2026 धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 से संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

### संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 18.05.2026 को थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर पर वादी कृष्ण कुमार पुत्र शोनाथ सिंह निवासी ग्राम खानजहांपुर बहादुरपुर गढ़ी, थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर द्वारा एक लिखित तहरीर दी गयी कि उसका पुत्र विशाल कुमार, जो अभियुक्त वसीम पुत्र लियाकत निवासी ग्राम काजीवाला, थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर के साथ नाई का कार्य सीखने हेतु कुपवाड़ा, जम्मू-कश्मीर गया था, वहाँ अभियुक्त वसीम द्वारा विशाल कुमार उपरोक्त का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया ।



प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 380/2026 धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 बनाम वसीम उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । उक्त प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए युवक विशाल कुमार को जम्मू-कश्मीर से सकुशल बरामद किया गया ।

विशाल कुमार से पूछताछ में यह तथ्य सामने आये कि आरोपी वसीम से वह पूर्व में परिचित था और उसके माध्यम से ही उसने सैलून आदि का कार्य सीखा था और आरोपी द्वारा विशाल से अपनी पुत्री का विवाह कराने के प्रलोभन के क्रम में कुपवाड़ा जनपद के मणिगाह में स्थित एक मस्जिद में धर्म परिवर्तन कराया था ।

### कार्यवाही-

आज थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित वांछित अभियुक्त वसीम पुत्र लियाकत निवासी ग्राम काजीवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

वसीम पुत्र लियाकत निवासी ग्राम काजीवाला, थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.थानाध्यक्ष श्री रामप्रताप सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
2. उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
3. का0 368 आकाश थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
4. का0 181 रवि कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।



**जनपद बिजनौर**  
**प्रेस नोट- थाना स्योहारा**

**दिनांक 21.05.2026**

**थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 184/2026 धारा 109(1)/352/351(3) बीएनएस से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।**

**संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 20.05.2026 को वादी मोहित पुत्र सुन्दर लाल निवासी ग्राम वजीरपुर मडैयो थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा थाना स्योहारा पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1. विकास पुत्र सोमपाल 2. अंकुल पुत्र पप्पू 3. बलवीर पुत्र महाराज 4. सचिन पुत्र जबर सिंह निवासीगण ग्राम वजीरपुर मडैयो थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा वादी के साथ गाली गलौच करते हुए जान से मारने की नीयत से लाठी डंडे से मारपीट की गयी एवं जान से मारने की धमकी दी गयी ।



प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0स0 184/2026 धारा 109(1)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

**कार्यवाही-**

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त मे वांछित अभियुक्त अंकुल पुत्र पप्पू निवासी ग्राम वजीरपुर मडैयो थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -**

अंकुल पुत्र पप्पू निवासी ग्राम वजीरपुर मडैयो थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।

**बरामदगी -**

एक डण्डा बाँस (लकड़ी )

**गिरफ्तार करने वाला पुलिस टीम-**

- 1.उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 2.हे0का0 552 मनोज मलिक थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 3.हे0का0 157 सरित थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 4.का0 1131 विपिन थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।



**जनपद बिजनौर**  
**प्रेस नोट- थाना स्योहारा**

**दिनांक 21.05.2026**

**थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 183/26 धारा 333/3(5)/352/115(2)/75/351(3) बीएनएस व 9m/10 पोक्सो एक्ट से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।**

**संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 19.05.2026 को वादिया द्वारा थाना स्योहारा पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त सादिक पुत्र मैराजुद्दीन निवासी लाईन के पास कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा वादिया के नाबालिग पुत्र के साथ गलत कार्य करने की कोशिश की गयी तथा अन्य अभियुक्तगण 2- परवेज पुत्र मौ0 असर 3- साजिया पत्नि परवेज 4- अली पुत्र सादिक निवासी गण मौ0 सरकडी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा एक राय होकर वादिया के घर आकर गाली गलौच व मारपीट की गयी ।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 183/26 धारा 333/3(5)/352/115(2)/75/351(3) बीएनएस व 9m/10 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।



**कार्यवाही-**

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सादिक पुत्र मैराजुद्दीन निवासी लाईन के पास कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर गिरफ्तार किया गया । अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-**

सादिक पुत्र मैराजुद्दीन निवासी लाईन के पास कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- 1.उ0नि0 श्री समयपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 2.हे0का0360 ब्रजपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 3.का0 1650 अमजद थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।



**जनपद बिजनौर**  
**प्रेस नोट- थाना स्योहारा**

**दिनांक 21.05.2026**

**थाना स्योहारा पुलिस मु0अ0स0 187/26 धारा 85/103(1)/238(क) बीएनएस से संबंधित 01  
वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।**

**संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 20.04.26 को वादी सतवीर सिंह पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम अनवरपुर चंडिका थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर द्वारा थाना स्योहारा पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1- सुनील कुमार पुत्र हीरा सिंह 2-जोगेन्द्र पुत्र हीरा सिंह 3-धर्मेन्द्र पुत्र हीरा सिंह निवासीगण ग्राम बेरखेडा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा वादी की बहन के साथ मारपीट करते हुए उसकी हत्या कर दी गयी प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0स0 187/2026 धारा 85/103(1)/238 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



**कार्यवाही-**

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त में अभियुक्त सुनील पुत्र हीरा सिंह निवासी ग्राम बेरखेडा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -**

1-सुनील पुत्र हीरा सिंह निवासी ग्राम बेरखेडा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी -**

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 2.उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 3.हे0का0 552 मनोज थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 4.हे0का0 157 सरित थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 5.का0 1131 विपिन थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।



**जनपद बिजनौर**  
**प्रेस नोट-थाना नूरपुर**

दिनांक – 21.05.2026

**थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 426/25 धारा 318(4)/336(3)/338/340(2)/61(2)  
बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।**

**संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 23.12.2025 को वादी श्री आकाश कुमार वरिष्ठ सहायक कार्यालय उपायुक्त राज्य कर बिजनौर रेंज, जनपद बिजनौर द्वारा थाना नूरपुर पर तहरीर दी गयी कि सर्व श्री रॉयल इन्टरप्राइजेज भवन फर्म के स्वामी अभियुक्त साहिम पुत्र नवाब निवासी मलिहाबाद लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा धोखाधडी करते हुए जीएसटी चोरी करने के उद्देश्य से फर्जी ITC क्लेम किया गया ।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 426/25 धारा 318(4) बीएनएस बनाम साहिम उपरोक्त पंजीकृत किया गया । दौराने विवेचना अभियोग उपरोक्त में अभियुक्तगण 1.इल्यास पुत्र साहिद हुसैन निवासी ग्राम नानपुर थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद 2.मौ0 जैद पुत्र मौ0 रफी निवासी मौ0 लाजपतनगर (निकट लाजपतनगर पुलिस चौकी) थाना कटघर जनपद मुरादाबाद के नाम प्रकाश में आये तथा साक्ष्यो के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 336(3)/338/340(2)/61(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी ।



**कार्यवाही-**

दिनांक 21.05.2026 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त मे संबधित अभियुक्तगण 1.इल्यास पुत्र साहिद हुसैन निवासी ग्राम नानपुर थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद 2.मौ0 जैद पुत्र मौ0 रफी निवासी मौ0 लाजपतनगर (निकट लाजपतनगर पुलिस चौकी) थाना कटघर जनपद मुरादाबाद को दो टैक्स इनवाइस , दो ई-वे-बिल एव एक मोबाइल सेमसंग कम्पनी सहित गिरफ्तार किया गया । अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-**

- 1.इल्यास पुत्र साहिद हुसैन निवासी ग्राम नानपुर थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद
- 2.मौ0 जैद पुत्र मौ0 रफी निवासी मौ0 लाजपतनगर (निकट लाजपतनगर पुलिस चौकी) थाना कटघर जनपद मुरादाबाद

### बरामदगी का विवरण-

1. दो टैक्स इनवाइस
2. दो ई-वे-बिल
3. एक मोबाइल सेमसंग कम्पनी

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक श्री अजीत प्रताप सिंह अपराध शाखा जनपद बिजनौर ।
2. उ०नि० श्री श्रीकान्त सत्यार्थी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
3. का० पवन कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
4. रि०का० किशनपाल सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर  
प्रेस नोट- थाना नांगल

दिनांक 21.05.2026

थाना नांगल पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं से संबंधित एक अभियुक्त को चोरी के माल व नगदी सहित गिरफ्तार किया गया ।

**संक्षिप्त विवरण:-**

दिनांक 07.05.2025 को थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड के दौरान थाना नांगल क्षेत्र की चोरी की 04 घटनाओं का अनावरण करते हुए 05 अभियुक्तों को अवैध शस्त्र, चोरी किये गए पीली व सफेद धातु के आभूषण, नगदी व चोरी/नकबजनी की घटनाओं में प्रयुक्त उपकरणों सहित गिरफ्तार किया गया था। मौक से अभियुक्तों का साथी अजीत पुत्र कुन्दन निवासी ग्राम रमपुरा थाना पंसगवा जनपद लखीमपुर खीरी अपने अन्य 02 साथियों के साथ फरार हो गया था ।

दिनांक 07.05.2026 को अभियोग उपरोक्त से संबंधित वांछित इनामी अभियुक्त अजीत उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।



**कार्यवाही-**

आज थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित वांछित अभियुक्त अशोक उर्फ जहरीला पुत्र कुन्दन निवासी ग्राम रमपुरा थाना पंसगवा जनपद लखीमपुर खीरी को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक पीली धातु का कान का टोप्स एव 1650/- रुपये नगदी बरामद की गयी । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

अशोक उर्फ जहरीला पुत्र कुन्दन निवासी ग्राम रमपुरा थाना पंसगवा जनपद लखीमपुर खीरी

**बरामदगी का विवरण-**

1. एक पीली धातु का कान का टोप्स (मु0अ0सं0-13/25 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित)
2. 1650/- रू नगद (मु0अ0सं0 14/25 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित)

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त अशोक उर्फ जहरीला-**

1. मु0अ0सं0 13/25 धारा 305(ए)/331 (4) /317(2) बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर ।
2. मु0अ0सं0 14/25 धारा 305(ए)/331 (4) /317(2) बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर ।
3. मु0अ0सं0 18/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नांगल जनपद बिजनौर ।
4. मु0 अ0 सं0 175/25 धारा 209 बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर ।
5. मु0अ0सं0 31/23 धारा 380/411/457 भादावि थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-**

- 1.थानाध्यक्ष श्री अमर सिंह राठौर थाना नांगल जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर
- 3.का0 1074 राजीव नागल जनपद बिजनौर
- 4.का0 2144 ऋषि अत्री थाना नागल जनपद बिजनौर
- 5.का0 299 सोनू थाना नांगल जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना नूरपुर

दिनांक 21.05.2026

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 182/2026 धारा 64(1) बीएनएस व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट से संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

### संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 21.05.2026 को वादिनी द्वारा थाना नूरपुर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त मोनू पुत्र शाहिद निवासी ग्राम ढेला अहीर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर द्वारा उसके साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गलत काम किया गया ।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 182/2026 धारा 64(1) बीएनएस व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही-

आज थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित वांछित अभियुक्त मोनू पुत्र शाहिद निवासी ग्राम ढेला अहीर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मोनू पुत्र शाहिद निवासी ग्राम ढेला अहीर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री राजवीर सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
2. हे0का0 मुकेश थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
3. का0 अर्जून थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:-थाना नांगल

दिनांक 20.05.2026

**थाना नांगल पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को एक अवैध तमंचा व एक नाजायज चाकू सहित किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अपने साथ अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 20.05.2026 को थाना नांगल पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.हरि सिंह पुत्र कुन्दन सिंह निवासी रमपुरा थाना पंसगवा जनपद लखीमपुर खीरी को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 2. बीरू पुत्र उधन सिंह निवासी रमपुरा थाना पंसगवा जनपद लखीमपुर खीरी को 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना नांगल पर मु0अ0सं0 71/26 धारा 3/4/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

- 1.हरि सिंह पुत्र कुन्दन सिंह निवासी रमपुरा थाना पंसगवा जनपद लखीमपुर खीरी
- 2.बीरू पुत्र उधन सिंह नि0 रमपुरा थाना पंसगवा जनपद लखीमपुर खीरी

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त हरि सिंह-

- 1.मु0अ0स0-18/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 शस्त्र अधि0 थाना नांगल जनपद बिजनौर
2. मु0अ0स0-180/24 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर
- 3.मु0अ0स0-97/24 धारा 305(ए)/331(40/317(2) बीएनएस थाना कालाढगी जनपद नैनीताल(उत्तराखण्ड)

4.मु0अ0स0 71/26 धारा 3/4/25 शस्त्र अधि0 थाना नांगल जनपद बिजनौर

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त बीरू-**

- 1.मु0अ0स0-180/24 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना नांगल बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0-13/25 धारा 305(ए)/331(40/317(2) बीएनएस थाना नांगल बिजनौर
3. मु0अ0सं0-14/25 धारा 305(ए)/331(40/317(2) बीएनएस थाना नांगल बिजनौर
4. मु0अ0स0-17/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना नांगल बिजनौर
5. मु0अ0स0-18/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 शस्त्र अधि0 थाना नांगल बिजनौर
6. मु0अ0स0-282/23 धारा 13 जुआ अधि0 थाना रोजा जनपद शहाजहाँपुर
7. मु0अ0स0-217/21 धारा 323/504/506 भादावि थाना पंसगवा जनपद लखीममपुर खीरी
- 8.मु0अ0स0 71/26 धारा 3/4/25 शस्त्र अधि0 थाना नांगल बिजनौर

**बरामदगी का विवरण:-**

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर (अभियुक्त हरि सिंह से)  
01 नाजायज चाकू ( अभियुक्त बीरू से )

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-**

1. उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर
2. का0 1847 अजय कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर
3. का0 2144 श्रषि अत्री थाना नांगल जनपद बिजनौर
4. का0 156 रोहित थाना नांगल जनपद बिजनौर